(ii) NEED FOR SETTING UP OF A PETRO-CHEMICAL INDUSTRY IN RATLAM, MADHYA PRADESH.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, बाम्बे हाई गैस पर आधारित उद्योगों की रु० 900 करोड़ की योजना के अन्तर्गत पेट्रोकेमिकल उद्योग मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के मोरवानी स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। यह स्थान इस उद्योग के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। 1980 में भारत सरकार द्वारा स्थापित कमेटी द्वारा भी इस स्थान के लिए सिफारिश की गई थी।

रतलाम और झाबुआ आदिवासी क्षेत्र हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या आदिवासीयों की है। भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत इस उद्योग से बड़ी संख्या में आदिवासि लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उद्योग की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जमीन का अतीमित क्षेत्र है। माही नदी का भरपूर जल है। बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल मजदूर मिल सकते हैं। ब्राड और मीटर गेज रेलवे लाइन भी उस क्षेत्र में है।

मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासियों की ओर से मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पहली कमेटी की सिफारिश के अनुसार मोरवानी (रतलाम) में ही वह पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थापित किया जावे। इस से भारत सरकार की पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों को उन्नत बनाने की बुनियादी नीति का पालन होगा।

(iii) NEED FOR RELIEF TO THE VICTIMS OF BUS ACCIDENTS IN ALMORA AND PITHORAGARH DISTRICTS OF U. P.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (हल्द्वानी): विगत 3 माह के अन्दर उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों में 5 भयंकर बस दुर्घटनाएं हुई हैं। इन बस दुर्घटनाओं में लगभग 100 लोग अकाल काल कवलित हुए हैं वह कई लोग भयंकर रूप में घायल हुए हैं। इस क्षेत्र में यातायात का कार्य उ० प्र० राज्य परिवहन निगम व कमाऊ मोटर्स यूनियन लिमिटेड करती हैं। इन बस दुर्घटनाओं का कारण बहुत पुरानी छकड़ा बसों का चलाना, आवश्यक साज-सज्जायुक्त वर्कशापों का न होना व सड़कों का तंग होना है।

अतः शासन से आग्रह है कि उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्रों मे कार्यरत इन दोनों यातायात संस्थाओं को कम से कम 400 नई बस चेसिस दी जाय व वहां आधुनिक वर्कशापों की स्थापना की जाय तथा सड़कों को चौड़ा किया जाय।

तात्कालिक तौर पर मृतकों के आश्रितों को कम से कम 20 हजार रुपये की नकद सहायता व उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाय तथा घायलों को 5 हजार से 10 हजार तक की अनुतोष धनराशि दी जाय।

(iv) NEED FOR EXPANSION OF GOROKHPUR AIRCRAFT AND PROVISION FOR A DAILY INDIAN AIRLINE'S SERVICE.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, गोरखपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां पर इस समय भारतीय उर्वरक कारखाना, आकाशवाणी केन्द्र, प्रसिद्ध गोरखनथा मंदिर, विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस, समीप में कुशीनगर विश्व प्रसिद्ध भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थली तथा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय एवं वायु सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय स्थित हैं। जहां पर विश्व के हर कोने से पर्यटक एवं व्यापारी आते रहते हैं। लेकिन वायु यातायात की कमी के कारण वहां पर आने वाले यात्रियों को काफी कठिनाई होती है। साथ ही साथ इ

कमी के कारण देश के अन्य जगहों से अच्छे उद्योगपति इस पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि गत कुछ दिन पहले सरकार इस हवाई अड्डे के विस्तार हेतु कुछ कदम उठाने वाली थी किन्तु अभी तक उसमें कुछ प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। अतः केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, सैनिक एवं वैज्ञानिक मूल्यों को मजबूत बनाने हेतु उक्त हवाई अड्डे के विस्तार को ठीक करने के लिए विशेष धनराशि स्वीकृत करके अविलम्ब कार्यवाही करें। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर सप्ताह में केवल तीन ही दिन यात्री विमान रुकने की व्यवस्था है। अतः सम्बन्धित माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन है कि उक्त स्थान पर प्रत्येक दिन वायुयान रुकने के लिए अविलंब आदेश प्रदान करें ताकि उक्त स्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा सकें। ऐसा करने से भारतीय पर्यटन विभाग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और विश्व के अन्य देशों से आने वाले यात्रियों से मुद्रा कमा सकेंगे।

(v) NEED FOR SETTING UP OF A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT AT MEERUT.

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur) : There has been a long standing demand from the District Bar Associations and from the pople of the districts of Western Uttar Pradesh a for the setting up of a Bench of the Allahabad High Court in Meerut. The demand was backed by frequent agitation involving large sections of the people of the region. The Banarsi Das Ministry had made a recommendation to the Central Government to set up such a Bench. Unfortunately, there has been no positive action by the Central Government on this demand.

In the meanwhile, there has been a major escalation in the agitation for setting up of the Bench. During the last two months, the lawyers have been intermittently boycotting the courts and this has created a sitauation where several thousand undertrials are languishing in prisons all through Western Uttar Pradesh without their trial being proceeded with and/or without getting bail.

The District Bar Associations, trade unions and mass organisations, farmers' organisations and political parties have now given a call for *bandh* in the districts of Western Uttar Pradesh on March 16. This will result in dislocation of normal life in the region. Worse, this will trigger off a mass movement which may create, among other things, a law and order situation in the entire region.

Uttar Pradesh is a large State of long distances and a population that is one seventh of the population of the country. The State High Court located in Allahabad has one other Bench located in Lucknow. Justice in Uttar Pradesh is, therefore, both delayed and expensive. The demand of the people for a Bench in Western Uttar Pradesh is fully justified. It will save the litigants from these districts a lot of money, time and harassment. I would urge the Law Minister not to delay taking a decision on this matter any further, and to give assent to the unanimous recommendation of the Lok Dal Ministry headed by Banarsi Das to set up a Bench in Meerut. (*Interruptions*)

(vi) NON-EMPLEMENTATION OF PALEKAR AWARD BY THE MANAGEMENT OF A U. P. HINDI DAILY '*Bharat*'.

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : पालेकर एवार्ड को अधिकांश समाचारपत्र मालिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा ऐसे समाचारपत्र मालिकों की भी कमी नहीं है जिन्होंने इसे लागू ही नहीं किया—और उसी से बचने के लिए अदालत चले गए हैं अथवा यदि लागू भी किया है तो तोड़-मरोड़ कर अपनी सुविधानुसार किया है। कुछ मालिकों ने अपने यहां छंटनी कर दी है और कुछ समाचारपत्र मालिकों ने तो इस पालेकरएवार्ड से बचने के लिए समाचारपत्रों का प्रकाशन